निर्णय वइजलास श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 074 / 15 दावा
दायरा दिनांक :– 09.07.2015
निर्णय दिनांक :– 9 6 17

उनवान

1. रामप्रसाद पुत्र भँवरलाल जाति बैरवा
2. बद्रीलाल पुत्र गोपाल जाति बैरवा
3. शौराम पुत्र प्रभूलाल जाति बैरवा
4. गुलाबचन्द पुत्र प्रभूलाल जाति बैरवा
5. गिरधारी पुत्र रामलाल जाति बैरवा
6. कंवरलाल पुत्र रामलाल जाति बैरवा
7. अमरलाल पुत्र रामलाल जाति बैरवा
8. धन्ना पुत्र रामलाल जाति बैरवा
9. कालू पुत्र जगन्नाथ जाति बैरवा
10. जयलाल पुत्र जगन्नाथ जाति बैरवा
11. धन्ना पुत्र औंकार जाति बैरवा
12. कल्याण पुत्र औंकार जाति बैरवा
13. कस्तूरचन्द पुत्र औंकार जाति बैरवा
14. छीतर पुत्र जानकीलाल जाति बैरवा
15. जगदीश पुत्र जानकीलाल जाति बैरवा
16. रतन पुत्र देवलाल जाति बैरवा
17. रामचरण पुत्र देवलाल जाति बैरवा
18. हीरा बेवा काना जाति बैरवा
19. प्रताप पुत्र काना जाति बैरवा
20. बलराम पुत्र काना जाति बैरवा
21. सन्तीबाई बेवा बद्रीलाल जाति बैरवा
22. अरविन्द पुत्री बद्रीलाल जाति बैरवा
23. रामनिवास पुत्र बद्रीलाल (नाबालिग) नाबालिगान की वली माता सन्तीबाई पत्नी बद्रीलाल जाति बैरवा
24. बतूलबाई बेवा छीतर जाति बैरवा
25. फूलचन्द पुत्र छीतर जाति बैरवा
26. रामेश्वर पुत्र छीतर जाति बैरवा
27. नारायण पुत्र कालू जाति बैरवा
28. द्रोपतीबाई बेवा प्रकाश जाति बैरवा
29. विश्वास पुत्र प्रकाश (नाबालिग) नाबालिग की वली माता द्रोपतीबाई बेवा प्रकाश जाति बैरवा
30. बलराम पुत्र कालू जाति बैरवा
31. शान्तिबाई पुत्री धूलीलाल पत्नी नारायण जाति बैरवा
32. ~~[illegible]~~

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

32. नेनकलाल पुत्र धूलीलाल जाति बैरवा निवासीगण पटपडी मजरा बमोरी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारा राजस्थान
33. कालू पुत्र नन्दा जाति बैरवा निवासी पटपडी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारा राजस्थान ,
34. धूलीबाई पुत्री मथुरा जाति बैरवा निवासी कालाटोल तहसील छीपाबड़ौद जिला बारा राजस्थान
35. श्रीलाल पुत्र केसरबाई व श्रवण जाति बैरवा
36. रघुनाथ पुत्र श्रवण जाति बैरवा निवासी पटपडी मजरा बमोरी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारा राज.

बनाम

1. कजोड पुत्र श्री औंकार जाति बैरवा
2. छीतरलाल पुत्र हीरा जाति बैरवा
3. बबूलाल पुत्र हीरा जाति बैरवा
4. रामचरण पुत्र हीरा जाति बैरवा
5. कन्याबाई पुत्री हीरा जाति बैरवा
6. कैलाबाई पुत्री हीरा जाति बैरवा
7. बदामबाई पुत्री हीरा जाति बैरवा
8. गुलाब बाई बेवा हीरा जाति बैरवा
9. बीरमा पुत्र अमरा जाति बैरवा
10. मोहन पुत्र अमरा जाति बैरवा
11. चौथमल पुत्र अमरा जाति बैरवा
12. रामभरोस पुत्र राधाकिशन
13. कमल पुत्र बजरंगलाल
14. सावित्री पुत्री बजरंगलाल
15. कविता पुत्री बजरंगलाल
16. शान्तिबाई बेवा बजरंगलाल
17. सीता पुत्री अमरा
18. गीता पुत्री अमरा
19. कविता पुत्री अमरा जाति बैरवा निवासीगण पटपडी मजरा बमोरी तहसील छीपाबड़ौद
20. कान्तिबाई पत्नी प्रेमचन्द जाति बैरवा निवासी कालाटोल
21. कंचनबाई पत्नी घासी जाति बैरवा निवासी ब्रहमाखेडी
22. गोमदा पुत्र पन्ना
23. रामदयाल पुत्र पेमा
24. रामगोपाल पुत्र पेमा
25. कैलाशबाई पुत्री पेमा

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारा

Scanned by CamScanner

26. सुमित्राबाई पुत्री पेमा
27. रामबिलास पुत्र चन्दा
28. भूरीबाई पुत्री चन्दा
29. सम्पतबाई पुत्री चन्दा
30. शीलाबाई पुत्री चन्दा
31. प्रहलाद पुत्र चन्दा (नाबालिग) नाबालिग की वली माता कमलीबाई पत्नी चन्दा
32. कमलीबाई बेवा चन्दा
33. कजोडी बेवा चन्दा
34. बलराम उर्फ मुरारी पुत्र मांग्या
35. रामस्वरूप पुत्र मांग्या
36. सुजान पुत्र मांग्या
37. पानाबाई बेवा मांग्या
38. प्रकाश पुत्र लक्ष्मण
39. रंगलाल पुत्र लक्ष्मण
40. धनराज पुत्र लक्ष्मण
41. जगदीश पुत्र लक्ष्मण
42. धापू बेवा लक्ष्मण
43. मंगीलाल पुत्र छोटू
44. द्वारकीलाल पुत्र छोटू
45. प्रेमचन्द पुत्र छोटू
46. ग्यारसीबाई बेवा छोटू
47. धन्ना पुत्र माधो
48. कमलाबाई पुत्री माधो
49. सुमित्रा पुत्री माधो
50. ताराबाई बेवा माधो
51. कन्हैयालाल पुत्र गोरधन
52. चान्दमल पुत्र गोरधन
53. दानमल पुत्र गोरधन
54. बसन्ती पुत्री गोरधन
55. गीता बेवा गोरधन
56. सीयाराम पुत्र फूलचन्द
57. राजू पुत्र फूलचन्द
58. रेखाबाई पुत्री फूलचन्द
59. गुलाबबाई बेवा फूलचन्द
60. गोपाल पुत्र किशोर
61. रामलाल पुत्र किशोर

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारा

Scanned by CamScanner

62. पानाबाई बेवा किशोर
63. कस्तूरचन्द पुत्र रामकिशन
64. रामस्वरूप पुत्र रामकिशन
65. फूलाबाई पुत्र रामकिशन
66. द्रोपतीबाई पुत्री रामकिशन
67. धर्मसिंह पुत्र रंगलाल
68. भूरा पुत्र रंगलाल
69. सुनिता पुत्री रंगलाल
70. अनीता पुत्री रंगलाल
71. कविता पुत्री रंगलाल
72. बदाम बेवा रंगलाल
73. मिथुन पुत्र रंगलाल (नाबालिग) नाबालिग की वली माता बदामबाई बेवा रंगलाल जाति बैरवा निवासीगण पटपडी मजरा बमोरी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां राजस्थान
74. शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे. शाखा छीपाबड़ौद जिला बारां राजस्थान
75. शाखा प्रबन्धक सी.बी.आई. शाखा छीपाबड़ौद जिला बारां राजस्थान
76. शाखा प्रबन्धक हाड़ौती क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सारथल जिला बारां राजस्थान
77. शाखा प्रबन्धक भूमि विकास बैंक बारां राजस्थान
78. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां राजस्थान
79. भूमि आवाप्ति अधिकारी झालावाड़।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक :– 9.6.17

अभिभाषक उपस्थित :– 1.

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 5 रकबा 54 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 6 रकबा 22 बीघा 13 बिस्वा मौजा टाकुडा पटवार हल्का भावपुरा तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां राजस्थान मे वाके है, जो मुताबिक जमाबंदी संख्या 44 सम्वत 2068 ता 71 से हीरा पुत्र मोती कजोड पुत्र औंकार कौम चमार हिस्सा 1/2 हिस्सा बराबर कमल नाबालिग पुत्र बंजरगलाल सावित्रीबाई कविताबाई नाबालिंग पुत्रियॉ बजरंगलाल शान्तिबाई बेवा बजरंगलाल हिस्सा 1/40 हिस्स बराबर नाबालिग की वली माता शान्तिबाई बीरमलाल पुत्र अमरा सीताबाई गीताबाई कान्तीबाई राजीबाइ पुत्रियॉ अमरा हिस्सा 01/8 हिस्सा बराबर कौम चमार कान्तीबाई पत्नी प्रेमचन्द हिस्सा 21/320 कौम

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारा

Scanned by CamScanner

बैरवा, घासीलाल पुत्र मथुरालाल हिस्सा 3/320 कोम चमार (बैरवा) निवासी ब्रहमाखेडी रामभरोस पुत्र राधाकिशन हिस्सा 1/40 गोमदा पेमा चन्दा मांग्या वल्द पन्ना मु. कजोडी बेवा पन्ना कौम चमार सा. पटपडी मजरा बमोरी हिस्सा 5/24 हिस्सा बराबर प्रकाश बा. रंगलाल धनराज जगदीश नाबा पुत्र लच्छीराम धापूबाई बेवा लच्छीराम हिस्सा 1/24 हिस्सा बराबर नाबा की वली माता खुद कौम चमार से दर्ज है, तथा नामान्तरण नम्बर 206 दिनांक 05.07.2012 से मृतक हीर के स्थान पर छीतरलाल बाबूलाल रामचरण पुत्र कन्याबाई कैलाशबाई बदामबाई पुत्रियॉ हीरा गुलाबबाई बेवा हीरा के खातेदारी मे दर्ज है।

आराजी खसरा नंबर 34 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 35 रकबा 35 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 36 रकबा 43 बीघा 17 बिस्वा किता 3 रकबा 82 बीघा 02 बिस्वा मौजा टाकुडा पटवार हल्का भावपुरा तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां राजस्थान मे वाके है, जो मुतातिक जमाबंदी संख्या 18 सम्वत् 2068 ता 71 से बीरबल मोहनलाल चौथमल पिस. अमरा सीताबाई गीताबाई कान्तीबाई राजीबाई पुत्रियॉ अमरा गेंदीबाई बेवा अमरा हिस्सा 1/5 हिस्सा बराबर रामभरोस पुत्र राधाकिशन हिस्सा 1/40 कमल नाबा. पुत्र बजरंगलाल सावित्रीबाई कविताबाई नाबा. पुत्रियॉ बजरंगलाल शान्तिबाई बेवा बजरंगलाल हिस्सा 1/40 हिस्सा बराबर नाबा. की वली माता शान्तीबाई प्रकाशचन्द रंगलाल धनराज जगदीश पुत्र लच्छीराम धापूबाई बेवा लच्छीराम हिस्सा 1/24 हिस्सा बराबर गोमदा पेमा चन्दा मांग्या वल्द पन्ना मु. कजोडी बेवा पन्ना हिस्सा 5/24 हिस्सा बराबर हीरा पुत्र मोती हिस्सा 1/4 कजोड पुत्र औंकार हिस्सा 1/4 कौम चमार सा. पटपडी मजरा बमोरी से दर्ज है, तथा नामान्तरण नम्बर 195 दिनांक 20.06.2011 से गेंदीबाई ने अपने हिस्से से 1/40 को रामभरोस पुत्र राधाकिशन के पक्ष में हकत्याग कर दिया है, तथा नामान्तरण नम्बर 206 दिनांक 05.07.2012 से मृतक हीरा के स्थान पर छीतरलाल बाबूलाल रामचरण पुत्र कन्याबाई कैलाशबाई बदामबाई पुत्रियॉ गुलाबबाई बेवा,हीरा का हिस्सा 1/4 हिस्सा बराबर मे खाता दर्ज हुआ, तथा नामान्तरण नम्बर 216 दिनांक 21.05.2014 से मृतक खातेदार पेमा के स्थान पर रामदयाल रामगोपाल पुत्र पेमा कैलाशबाई सुमित्राबाई पुत्रियॉ पेमा जमनाबाई बेवा पेमा हिस्सा 1/24 हिस्सा बराबर मे खाता दर्ज हुआ।

आराजी खसरा नम्बर 2 रकबा 9 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 3 रकबा 54 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 4 रकबा 5 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 7 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 8 रकबा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 9 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 10 रकबा 10 बिस्वा किता रकबा 73 बीघा 01 बिस्वा मौजा टाकुडा पटवार हल्का भावपुरा तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां राजस्थान मे वाके है, जो मुताबिक जमाबंदी संख्या 45 सम्वत् 2068 ता 71 से हीरा पुत्र मोती कजोड पुत्र औंकार कौम चमार हिस्सा 1/2 हिस्सा बराबर कमल नाबा पुत्र बजरंगलाल, सावित्रीबाई कविताबाई नाबा पुत्रियां बजरंगलाल शान्तिबाई बेवा बजरंगलाल हिस्सा 1/40 हिस्सा बराबर नाबा. की वली माता शान्ति बाई बीरमलाल मोहनलाल, चौथमल पुत्र अमरा सीताबाई गीताबाई कालीबाई राजीबाई पुत्रियॉ अमरा व गेंदीबाई बेवा अमरा हिस्सा 1/5 हिस्सा बराबर रामभरोस पुत्र राधाकिशन हिस्सा 1/40 गोमदा पेमा चन्दा मांग्या वल्द पन्ना कजोडी बेवा पन्ना कौम चमार सा. झोपडिया मजरा बमोरी हिस्सा 5/24 हिस्सा बराबर प्रकाश बा. रंगलाल धनराज जगदीश नाबा. पुत्र व धापूबाई बेवा लच्छीराम हिस्सा 1/24 हिस्सा बराबर नाबा की वली माता खुद कौम चमार से दर्ज है, तथा नामान्तरण नंबर 195 दिनांक 20.06.2011 से गेंदीबाई ने अपने हिस्से से 1/40 को रामभरोस पुत्र राधाकिशन के पक्ष में हकत्याग कर दिया है,

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

तथा नामान्तरण नम्बर 206 दिनांक 05.07.2012 से मृतक हीरा के स्थान पर छीतरलाल बाबूलाल रामचरण पुत्र कन्याबाई कैलाशबाई बदामबाई पुत्रियॉ गुलाबबाई बेवा हीरा का हिस्सा 1/4 हिस्सा बराबर में खाता दर्ज हुआ, तथा नामान्तरण नम्बर 211 दिनांक 11.02.2013 से मृतक मांग्या के स्थान पर रामदयाल रामगोपाल पुत्र सुजानसिह नाबा पुत्र पानाबाई बेवा मांग्या हिस्सा 1/24 हिस्सा बराबर मे खाता दर्ज हुआ तथा नामान्तरण नम्बर 216 दिनांक 21.05.2014 से मृतक खातेदार पेमा के स्थान पर रामदयाल रामगोपाल पुत्र पेमा कैलाशबाई सुमित्राबाई पुत्रियॉ पेमा जमनाबाई बेवा पेमा हिस्सा 1/24 हिस्सा बराबर मे खाता दर्ज हुआ, तथा नामान्तरण नम्बर 226 दिनांक 06.11.2014 से मृतक खातेदार जमनाबाई का नाम खाते से खारिज हुआ।

आराजी खसरा नम्बर 300/244 रकबा 11 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 303/243 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 306/240 रकबा 2 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 309/239 रकबा 6 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 312/237 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 315/238 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 379/236 रकबा 77 बीघा 01 बिस्वा किता 7 कुल रकबा 102 बीघा 05 बिस्वा मौजा खरण पटवार हल्का भावपुरा तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां राजस्थान मे वाके है, जो मुताबिक जमाबंदी संख्या 12 सम्वत् 2069 ता 72 से कस्तूरचन्द रामस्वरूप पुत्र रामकिशन फूलाबाई द्रोपतीबाई पुत्रियॉ रामकिशन पानाबाई बेवा रामकिशन हिस्सा 5/6 हिस्सा बराबर धर्मसिंह भूरालाल मिथुन कुमार पुत्र रंगलाल सुमित्राबाई, अनिताबाई, कविताबाई पुत्रियॉ रंगलाल बदामबाई बेवा रंगलाल हिस्सा 01/6 हिस्सा बराबर कौम चमार सा. पटपडी मजरा बमोरी से दर्ज है, तथा नामान्तरण नम्बर 576 दिनांक 21.07.2014 से मृतक खातेदार पानाबाई का नाम खारिज करने का आदेश हुआ।

आराजी खसरा नंबर 236 रकबा 77.01 बीघा, खसरा नंबर 298/244 रकबा 11.03 बीघा, खसरा नंबर 301/243 रकबा 2.13 बीघा, खसरा नंबर 307/239 रकबा 6.05 बीघा, खसरा नंबर 310/237 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 313/238 रकबा 2.11 बीघा मौजा खरण मे स्थित है, जो गोपाल, रामलाल, पुत्र किशोर हिस्सा 5/16 हिस्सा बराबर पाना बाई बेवा किशोर हिस्सा 1/6 कौम चमार साकिन पटवड़ी मजरा बमोरी दर्ज है। आराजी खसरा नंबर 299/244 रकबा 11.03 बीघा, खसरा नंबर 302/243 रकबा 2.14 बीघा, खसरा नंबर 305/240 रकबा 2.01 बीघा, खसरा नंबर 308/239 रकबा 6.05 बीघा, खसरा नंबर 311/237 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 314/238 रकबा 2.11 बीघा, खसरा नंबर 378/236 रकबा 77.01 बिस्वा मौजा खरण पटवार हल्का भावपुरा तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां राजस्थान मे वाके है, जो मुताबिक जमांबदी संख्या 80 सम्वत् 2069 ता 72 से मांगीलाल, द्वारकीलाल, प्रेमचन्द पुत्र छोटू, जमना बाई, नटीबाई, कमलीबाई पुत्रिया छोटू ग्यारसीबाई बेवा छोटू साकिन पटपड़ी कौम चमार से दर्ज है। नामान्तकरण नंबर 561 दिनांक 20.09.2013 रजिस्टर हक त्याग पत्र द्वारा जमना बाई, नटीबाई, कमला बाई ने अपने सम्पूर्ण हिस्से का हकत्याग अपने सगे भाई मांगीलाल, द्वारकीलाल, प्रेमचन्द पुत्र छोटू के पक्ष मे कर दिया है। अतः खाता दर्ज करने का आदेश हुआ।

आराजी खसरा नंबर 237 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 238 रकबा 2.10 बीघा, खसरा नंबर 239 रकबा 6.06 बीघा, खसरा नंबर 640 रकबा 2.02 बीघा, खसरा नंबर 243 रकबा 2.13 बीघा, खसरा नंबर 244 रकबा 11.03 बीघा, खसरा नंबर 377/236 रकबा 77.01 बीघा किता 7 कुल

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

रकबा 102.05 बीघा मौजा खरण मे स्थित है, जो मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2069-72 से धन्नालाल, फूलचन्द आत्मज माधो, कमला बाई, सुमित्रा बाई पुत्रिया माधो ताराबाई बेवा माधो हिस्सा 2/3, कन्हैयालाल, चान्दमल, दानमल, पप्पू आत्मज गोरधन, बसन्ती बाई नाबालिक पुत्री, गीता बेवा गोरधन हिस्सा 1/3 कौम चमार सा.देह से दर्ज है, तथा नामान्तकरण नबर 551 दिनाक 11.02.2013 से मृतक पप्पू का नाम खाते से खारिज हुआ। उक्त वर्णित आराजीयात पूर्व में ठिकाना सारथल के ,खातेदारी मे दर्ज थी। उक्त आराजी को ठिकाना सारथल द्वारा प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1 ता 73 को मा के अनुदान मे दी थी, जिसके पेठे लेने देन भी हुआ था, जिसमें प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 73 के पूर्वजो द्वारा राशि एकत्रित करके अदा की थी। अप्रार्थीगण व अप्रार्थी क्रम 1 ता 73 आठ परिवार के सदस्य है, तथा ठिकाना सारथल द्वारा उक्त आराजीयात को प्रत्येक परिवार के मुखिया के खातेदारी मे दर्ज करा दी, लेकिन उक्त आराजीयात का वर्ष 1957 मे बटवारा हो गया था, जिस व्यक्ति द्वारा जितनी राशि अदा की है, उस हिसाब से उसके हिस्से में उतनी आराजी आयी। उक्त वर्णित आराजीयात का आपस मे बाहमी विभाजन कर लिया था, तथा उक्त बाहमी विभाजन के मुझब ही उक्त आराजीयात पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी क्रम 1 ता 73 के पूर्वज व वर्तमान में प्रार्थीगण व अप्रार्थी क्रम 1 ता 73 काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त वर्णित आराजीयात का पूर्व बाहामी विभाजन के मुझभ प्रार्थी क्रम 1 का 13 बीघा, प्रार्थी क्रम 2 का 13 बीघा पर, प्रार्थी क्रम 3 व 4 का 13 बीघा पर, प्रार्थी क्रम 5 ता 8 का 27 बीघा पर, प्रार्थी क्रम 9 व 10 का 27 बीघा पर, प्रार्थी क्रम 11 ता 13 का प्रत्येक का 12-12 बीघा पर, प्रार्थी क्रम 13 व 14 का 6-6 बीघा पर, प्रार्थी क्रम 16 ता 17 का 20 बीघा पर, प्रार्थी क्रम 18 ता 20 का प्रत्येक का 5-5 बीघा पर तथा प्रार्थी क्रम 21 ता 23 का 5 बीघा भूमि पर, प्रार्थी क्रम 24 ता 26 का 20 बीघा पर, प्रार्थी क्रम 27 ता 30 का 7 बीघा पर, प्रार्थी क्रम 31 का 10 बीघा पर, प्रार्थी क्रम 32 का 4 बीघा पर, प्रार्थी क्रम 33 व 34 का 13-13 बीघा पर, प्रार्थी क्रम 35-36 का 8-8 बीघा पर निरन्तर बिना किसी व्यवधान के कब्जा काश्त चला आ रहा है, तथा प्रार्थीगण अपने-अपने हिस्से की आराजी पर काश्त करते व फसल बोते चले आ रहे है। इसी प्रकार अप्रार्थी क्रम 1 का 12 बीघा भूमि पर, अप्रार्थी क्रम 2 ता 8 का 60 बीघा पर, अप्रार्थी क्रम 9 ता 19 का 60 बीघा भूमि पर, अप्रार्थी क्रम 20 का प्रार्थना-पत्र के मद नंबर 2 के वर्णित आराजी में से 21/320 हिस्से पर तथा अप्रार्थी क्रम 21 जो मृतक खातेदार घासीलाल पुत्र मथुरालाल की पत्नी का मद् नंबर 2 में वर्णित भूमि मे से 3/320 हिस्से की आराजी पर, तथा अप्रार्थी क्रम 22 ता 42 का 27 बीघा भूमि पर तथा अप्रार्थी क्रम 43 ता 46 का 66 बीघा भूमि पर अप्रार्थी क्रम 47 ता 59 का 50 बीघा भूमि पर एवं अप्रार्थी क्रम 60 ता 62 का 50 बीघा भूमि पर तथा अप्रार्थी क्रम 63 ता 73 का 45 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त वर्णित अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी काबिज काश्त करते चले आ रहे है। विवादित आराजी परवन वृहद सिचाई परियोजना के डूब क्षेत्र मे आने वाली है, तथा मुआवजा राशि केवल खातेदारान के नाम ही जारी हो सकती है, तथा प्रार्थीगण मुआवजा राशि प्राप्त करने से वंचित हो जाये और मुआवजा राशि जारी होने के बाद खातेदारान् मे किसी भी प्रकार का लड़ाई-झगड़ा न हो इसलिए विवादित आराजी अनुसार अपने-अपने हिस्से की आराजी को अपने खातेदारी में दर्ज करवाने के अधिकारी है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी क्रम 1 ता 73 से कई बार उक्त वर्णित आराजी का कब्जे अनुसार भूमियात को खातेदारी में दर्ज करवाने का निवेदन किया, लेकिन उन्होने प्रार्थीगण के निवेदन पर कतई ध्यान नही दिया, तथा प्रार्थीगण को उनके हिस्से की आराजी से बेदखल करने की धमकी दी। प्रार्थना-पत्र प्रस्तुति का कारण प्रथम बार राज्य

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

डिलीट 30 बलराम आयु 25 वर्ष पुत्र कालू जाति बैरवा

31 राजन्तीबाई आयु 62 वर्ष पुत्री धूलीलाल पत्नी नारायण जाति बैरवा

32 नेनकलाल आयु 60 वर्ष पुत्र धूलीलाल जाति बैरवा

Scanned by CamScanner

सरकार द्वारा भूमि आवाप्ति द्वारा कार्यवाही करने पर तथा विवादित आराजीयात अप्रार्थी क्रम 1 ता 73 के खातेदारी का उनके पूर्वजो के खातेदारी में दर्ज होने से प्रार्थीगण को मुआवजा राशि नही मिलने से तथा प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 17.06.2015 को अन्तिम बार अप्रार्थी क्रम 1 ता 73 से विवादित आराजीयात मे से कब्जे अनुसार प्रार्थीगण के खातेदारी दर्ज करवाने की कहने पर उनके द्वारा प्रार्थीगण के निवेदन पर कतई ध्यान नही देने पर उत्पन्न हुआ। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केस है, तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में विद्यमान है। यदि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही हुयी तो प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी, जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से सम्भव नही हो सकेगी। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 47, ता 50, 51, 52, 53, 55, 59 की ओर से इकबाली जवाब पेश हुआ। अप्रार्थी क्रम 60, 61, 62 की ओर से जवाब पेश हुआ, तथा अप्रार्थी क्रम 2 ता 8 की ओर से इकबाली जवाब पेश हुआ। शेष अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश नही होने के कारण जवाब बन्द किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम खरण सम्वत् 2069–72 खाता संख्या 12 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 खाता संख्या 20, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 खाता संख्या 80, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 खाता संख्या 54, नकल जमाबन्दी ग्राम टाकूड़ा सम्वत् 2068–72 खाता संख्या 45, नकल जमाबन्दी ग्राम टाकूड़ा खाता संख्या 18, नकल जमाबन्दी ग्राम टाकूड़ा सम्वत् 2068–71 खाता संख्या 44 पेश की गई। प्रार्थीगण रामप्रसाद, कल्याण, कालू का शपथ–पत्र पेश हुआ।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान् सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी का कथन है, कि प्रार्थीगण की और से प्रार्थना–पत्र 212 आर.टी.एक्ट पेश किया है। मद् नंबर 2, 3, 4 व मद् नंबर 5, 6, 7, 8 मे वर्णित आराजीयात है, जिसकी जमाबन्दीया पेश है, उक्त सभी जमाबन्दीयों से सम्बन्धित भूमि जागीरदार द्वारा सीलिग एक्ट आ जाने व जायदाद ज्यादा हो जाने से अपने नजदीकी गरीब अनुसूचित जाजाति के लोगो को बुलाया, उनके 8 व्यक्ति जिनमे कजोड, हीरा, अमरा, पन्ना, को ग्राम टाकूड़ा की मद् नंबर 2, 3, 4 मे वर्णित भूमि कुछ अनुतोष लेकर खाते बंधा दी। उस वक्त उक्त आराजीयात कृषि योग्य नही थी। इसी तरह चार व्यक्ति छोटू, किशोर, माधो व रामकिशन को जो अनुसूचित जाति के थे, को मद् नंबर 5, 6, 7, 8 में वर्णित भूमि ग्राम खरण की चारो के खाते बंधा दी। इस प्रकार कुल 8 व्यक्तियों को बतौर खातेदार नियुक्त कर दिया। इन 8 व्यक्तियों ने अपने परिवार जनो, रिश्तेदारो से रूपये इकठ्ठा कर परिवार के मुखिया द्वारा रूपये लगाया। बंजर भूमि को काबिल काश्त बनाया। सन् 1957 मे वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 73 के वारिसान ने अपना हिस्सा जो उक्त भूमि को बनाने के लिये लगाया था, मौके पर जाकर विभाजन कर लिया, जो खातेदार आज थे, वे एवं प्रतिवादीगण ने समस्त आराजीयात को एक यूनिट बनाकर बाट लिया। 60 वर्षो के दौरान ऐसी कोई घटना नही घटी की प्रतिवादीगण ने किसी प्रकार की आपत्ति पेश की हो। सभी लोग वादी व प्रतिवादीगण एक साथ खेती करते रहे। परिवहन वृहद सिचाई परियोजना द्वारा इस आराजी को डूब क्षैत्र में माना, जो व्यक्ति खातेदार है, उन्ही को हितधारी माना, जबकि हमे पूर्वजो के समय से काबिज है। हमारे सामने यह विपदा आ गयी है, कि प्रतिवादीगण हमे भूमि आवाप्ति का हमारे हिस्से अनुसार पैसा देगे या नही इसी परेशानी के कारण यह वाद प्रस्तुत करना पड़ा। आज भी कुछ प्रतिवादीगण एक मत

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारा

Scanned by CamScanner

होकर हमसे सहमत है। मात्र प्रतिवादी नंबर 60, 61, 62 हमारा विरोध कर रहे है। वादीगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा का अन्य कोई विरोध नही कर रहे है। यह आराजीयात सम्मलित रूप से क्रय की गई, व काश्त की जा रही है। इसकी पुष्टि अन्य सभी अप्रार्थीगण कर रहे है, जिन खातेदारान् की तरफ से इकबाली जवाब आया है। उनमे से केवल किशोर के वारिसान द्वारा ही आपत्ति की जा रही है। अन्य किसी ने आपत्ति पेश नही की है। पृथम दृष्टया प्रकरण सिद्व करने हेतु नकल जमाबन्दीया, शपथ–पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण की सत्यता सिद्व करने हेतु कुछ अप्रार्थीगण की सहमति व इकबाली जवाब भी पत्रावली मे है। परिवहन परियोजना के मुआवजे के विवाद नही हो, इसलिए यह वाद/ प्रार्थना–पत्र लाना पडा। अपरिमित क्षति के बिन्दु पर निवेदन है, कि हमारी 3 पीढ़ी से जिस आराजीयात से हम पालन–पोषण कर रहे है, तथा खेती कर रहे है। अगर अवार्ड इन्ही के नाम जारी हुआ तो वादीगण को अपिरिमित क्षति होगी। सन् 1947 मे देश आजाद होने के समय कौन अनुसूचित जाति का व्यक्ति 102 बीघा भूमि एक व्यक्ति खरीद् सके, यह सम्भव नही है। अनेक लोगो ने मिल कर क्रय की थी, लेकिन खाते मुखिया के नाम आयी। इस क्षैत्र में अन्य कोई बडा खातेदार नही है। प्रथम दृष्टया प्रकरण सिद्व होने व अपरिमित क्षति की पूर्ण सम्भावना होने के कारण सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के, पक्ष में है। अतः प्रार्थना–पत्र 212 आर.टी.एक्ट स्वीकार फरमावें।

बहस के दौरान अप्रार्थीगण का कथन है, कि प्रार्थीगण की ओर से दो ग्राम की भूमि का यह वाद पेश किया है। विवादित आराजी के खातेदार अप्रार्थीगण है। अप्रार्थी नंबर 60, 61, 62 की ओर से निवेदन है, कि प्रार्थना–पत्र की मद् नंबर 6 मे वर्णित आराजीयात अप्रार्थी नंबर 60,61,62 के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है। विवादित आराजी ठिकाने से मौल लेना बताते है, जो भूमि खाते आयी है, वह उसी खातेदार की है, जिसने राशि अदा की है। प्रार्थीगण ने यह नही बताया कि कौन व्यक्ति किस खसरा नंबर के किस स्थान पर कितने रकबे में काबिज है। जब तक पूर्ण विवरण नही बताया जावे तब तक खातेदारी या 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य नही है। विवादित आराजी परिवहन वृहद योजना मे आना बताते है। अगर आवाप्ति की कार्यवाही शुरू भी हो गई है, या पूर्ण हो गई या विचाराधीन है, तो ऐसे मामले में प्रार्थना–पत्र माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार से बहार हो जाते है। सरकार की योजना के तहत् भूमि आवाप्ति अधिकारी को भूमि आवाप्त करने से नही रोका जा सकता है। कथन है, कि दो ने इकवाली जवाब की आपत्ति व 5 नही आये, जो नही आये उनकी सहमति माना जाना सम्भव नही है। मै खातेदार हूँ, मेरे खातेदारी की आराजी का भुगतान रूकवाने का आपको कोई अधिकार नही है। खातेदार की भूमि आवाप्त होने पर अपरिमित क्षति भी खातेदार को होगी। इसमें अपरिमित क्षति भी अप्रार्थीगण नंबर 60, 61, 62 को है। इस प्रकार अपरिमित क्षति पृथम दृष्टया वाद व सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थना–पत्र मे अनुतोष मांगने योग्य नही होने से खारिज योग्य है। मौखिक आधार पर इसे सही नही माना जा सकता । कोई बटवारा व अन्य दस्तावेज पेश नही किया। प्रथम दृष्टया वाद अपरिमित क्षति व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे नही होने से खारिज फरमाया जावें।

बहस उभय पक्षकारान् सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी एवं रिकार्ड व पत्रावली के अवलोकन से यह साबित होता है, कि प्रार्थीगण विवादित आराजी के खातेदार नही है। परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत इकवाली जवाब से यह सिद्व होता है, कि

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारा

Scanned by CamScanner

विवादित भूमि पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी क्रम 1 ता 73 मे से अप्रार्थी क्रम 60, 61, 62, द्वारा भूमि देने का विरोध किया है। इनके अलावा अन्य अप्रार्थीगण की ओर से वादीगण को कब्जे के आधार पर भूमि देने मे कोई आपत्ति नही होना सिद्व होता है। विवादित भूमि वृहद सिचाई परियोजना के डूब क्षैत्र मे आने से प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य मुआवजे को लेकर विवाद उत्पन्न होना पाया जाता है। अप्रार्थी क्रम 60, 61, 62 प्रार्थीगण को भूमि का मुआवजा देना नही चाहते शेष अप्रार्थीगण को कब्जे के आधार पर भूमि देने में कोई आपत्ति नही होना इकबाली जवाब दावे से सिद्व होता है। विवादित आराजीयात पर मूल वाद के निस्तारण तक स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है, कि विवादित आराजी वाके ग्राम टाकु आराजी खसरा नम्बर 5 रकबा 54 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 6 रकबा 22 बीघा 13 बिस्वा, आरा खसरा नंबर 34 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 35 रकबा 35 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर रकबा 43 बीघा 17 बिस्वा किता 3 रकबा 82 बीघा 02 बिस्वा, आराजी खसरा नम्बर 2 रकबा 9 बीघा बिस्वा, खसरा नम्बर 3 रकबा 54 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 4 रकबा 5 बीघा 05 बिस्वा, ख नम्बर 7 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 8 रकबा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 9 रकबा 2 बीघा 14 बि खसरा नम्बर 10 रकबा 10 बिस्वा किता रकबा 73 बीघा 01 बिस्वा, एवं ग्राम खरण की आराजी ख नम्बर 300/244 रकबा 11 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 303/243 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, ख नम्बर 306/240 रकबा 2 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 309/239 रकबा 6 बीघा 06 बिस्वा, र नम्बर 312/237 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 315/238 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा 379/236 रकबा 77 बीघा 01 बिस्वा, आराजी खसरा नंबर 237 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नंबर रकबा 2.10 बीघा, खसरा नंबर 239 रकबा 6.06 बीघा, खसरा नंबर 640 रकबा 2.02 बीघा, खसर 243 रकबा 2.13 बीघा, खसरा नंबर 244 रकबा 11.03 बीघा, खसरा नंबर 377/236 रकबा 77.01 आराजी खसरा नंबर 236 रकबा 77.01 बीघा, खसरा नंबर 298/244 रकबा 11.03 बीघा, खसर 301/243 रकबा 2.13 बीघा, खसरा नंबर 307/239 रकबा 6.05 बीघा, खसरा नंबर 310/23 10 बिस्वा, खसरा नंबर 313/238 रकबा 2.11 बीघा आराजी खसरा नंबर 299/244 रकब बीघा, खसरा नंबर 302 / 243 रकबा 2.14 बीघा, खसरा नंबर 305/240 रकबा 2.01 बीघा नंबर 308 / 239 रकबा 6.05 बीघा, खसरा नंबर 311/237 रकबा 10 बिस्वा, खस 314/238 रकबा 2.11 बीघा, खसरा नंबर 378/236 रकबा 77.01 बिस्वा पर मूल वाद के तक रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

हीरालाल
उपखण्ड अधि
छीपाबड़ोद

Scanned by CamScanner